निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 107/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गीता देवी पत्नी बाबूलाल बलाई, निवासी ग्राम दनाउकला, भू–अभिलेख निरीक्षक देवगांव, तहसील तूंगा, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती शिप्रा जैन, आर.ए.एस., सहायक कलक्टर, बस्सी, जयपुर।
2. परमानन्द पुत्र डालूराम जाबडोलिया जाति रैगर, निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।
3. कालूराम पुत्र किशोर रैगर, निवासी ग्राम दनाउकला, भू–अभिलेख निरीक्षक देवगांव, तहसील तूंगा, जयपुर।
4. नाथू पुत्र मूल्या (मृत्तक) जरिये–

    4/1. बाबूलाल पुत्र नाथूलाल,

    4/2. रामनिवास पुत्र नाथूलाल,

    4/3. सन्ती पुत्री नाथूलाल,

    समस्त जाति रैगर, निवासियान ग्राम दनाउकला, भू–अभिलेख निरीक्षक देवगांव, तहसील तूंगा, जयपुर।
5. उप पंजीयक तूंगा, तहसील तूंगा, जयपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा, तहसील तूंगा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 163/2023 ब उनवानी गीता देवी बनाम परमानन्द व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:–

1. श्री सीताराम जाट, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सीताराम कुमावत, अधिवक्ता, श्री अर्जुनलाल की ओर से।

निर्णय दिनांक 10.02.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 163/2023 ब उनवानी गीता देवी बनाम परमानन्द व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी पक्षकार श्री अर्जुन लाल की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम कुमावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है, जिन्होने स्थानीय विधायक का राजनैतिक दबाव पीठासीन अधिकारी पर डलवाकर प्रकरण का फैसला अपने पक्ष में करवाने पर आमादा है, इस कारण प्रार्थिया को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उमीद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने खुले न्यायालय में ऐलानिया कहा कि इस प्रकरण का फैसला तो मैं करके ही रहूंगा, पीठासीन अधिकारी के उक्त व्यवहार से प्रार्थिया को पूर्ण विश्वास हो गया कि पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण का फैसला प्रार्थिया के विरूद्ध ही करेंगे। विगत तारीख पेशी पर भी अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी के कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा गया। न्याय का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि न्याय किए जाने का आभास पक्षकारों को होना चाहिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद को अन्य समकक्ष न्यायालय में अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी अर्जुनलाल के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी अर्जुनलाल जो कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार है, किन्तु मुंतकिल प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थिया अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित मूल प्रकरण का निस्तारण नहीं होना देना चाहती है, इसलिए मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर बस्सी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए अंकित किया गया है कि सभी पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधि अनुसार ही कार्यवाही की जा रहीं है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई बल नहीं पाते है। दौराने सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिल किया जाए। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए है और ना ही प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण को स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति उभय पक्ष हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर